



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक - 136 / 12-1 (54) मुनिकीरेती, दिनांक- 19 / 07 / 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बड़ेथी से जोशियाड़ा तक लम्बाई 4.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु 0.147 हे० वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।(FP/UK/Others/31135/2018)


सन्दर्भ :- आपके द्वारा ऑनलाईन इंगित कमियां दिनांक-14.06.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में ऑनलाईन आपत्ति इंगित की गयी है कि “*CF may clarify, whatever this RoW --right of way-- has approved under FC clearance at the time of construction*” के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना का निर्माण, प्रस्ताव के अनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु स्वीकृत RoW (right of way) के अन्तर्गत मोटर-मार्ग के किनारे-किनारे किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव/अभिलेख/स्वीकृति इस कार्यालय एवं प्रभाग स्तर कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 निर्गत होने से पूर्व में ही हो चुका था।


अतः प्रकरण पर सूचना/आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय


(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

संख्या :- 138 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक-191/12-1, दि०-17.07.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।


(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

0/c